

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4/अलेसे-III/निप लिंक नं. 5446/102

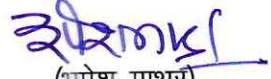
दिनांक:- 27-4-2023

कार्यालय आदेश:-

श्री सोहन लाल डागा (लिंक नं. 5446), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय, कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर-(911) जिनकी जन्म तिथि 26.05.1963 हैं, का दिनांक 15.03.2023 को निधन हो जाने के कारण इन्हें दिनांक 15.03.2023 से राजकीय सेवा से पृथक किया जाता है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक पं.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री सोहन लाल डागा के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4/अलेसे-III/निप लिंक नं. 5446/102

दिनांक:- 27-4-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर लेख हैं कि यदि स्व. श्री सोहन लाल डागा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय के परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।
4. कोषाधिकारी, बीकानेर
5. श्रीमती कांता डागा पत्नी स्व. श्री सोहन लाल डागा, पता-डागा निवास, सूधारों की बड़ी गुवाड़, जिला बीकानेर-334005 को प्रेषित कर लेख हैं कि यदि आप अथवा आपके परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1966 के अंतर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के माध्यम से निर्धारित अवधि में भिजवाने का श्रम करें। (रजिस्टर्ड)
6. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली/पदस्थापन सीट/ वरिष्ठता सीट/ए.सी.आर. शाखा।


(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)